

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:प.4 (iv) कृ.यंत्र/2015-16/ 3665-73.

दिनांक: 10-3-2016

प्रशासनिक स्वीकृति आदेश

केन्द्रीय प्रवर्तित योजना "नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी (NMAET)" के सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन (SMAM) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में "कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना हेतु श्री आशीष डामोर निवासी ग्राम अगोरिया, ग्राम पंचायत बालावड़ा, पंचायत समिति बागीदौरा जिला बांसवाड़ा को उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन, उप निदेशक, कृषि (वि०), जिला परिषद बांसवाड़ा द्वारा की गई अनुशंसा तथा भारत सरकार द्वारा कृषि उपकरणों/यंत्रों के विहित मापदण्डों के आधार पर प्रस्ताव के परीक्षण उपरान्त "कस्टम हायरिंग केन्द्र अगोरिया" ग्राम पंचायत बालावड़ा, पंचायत समिति बागीदौरा जिला बांसवाड़ा की स्थापना की प्रशासनिक स्वीकृति परिशिष्ट '1' में वर्णित शर्तों के अध्याधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। "कस्टम हायरिंग केन्द्र अगोरिया" ग्राम पंचायत बालावड़ा, पंचायत समिति बागीदौरा जिला बांसवाड़ा हेतु अनुमोदित कृषि यंत्रों/उपकरणों की सूची परिशिष्ट "2" के अनुसार होगी।

(डॉ० नीरज कुमार पवन)

आयुक्त एवं पदेन

विशिष्ट शासन सचिव, कृषि

क्रमांक:प.4 (iv) कृ.यंत्र/2015-16/ 3665-73.

दिनांक: 10-3-2016.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक, कृषि (आदान) मुख्यालय, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, कृषि, मुख्यालय, जयपुर।
4. खण्डीय संयुक्त निदेशक, कृषि उदयपुर।
5. उप निदेशक, कृषि (वि०), जिला परिषद बांसवाड़ा को उनके द्वारा अग्रेषित प्रस्ताव के क्रम में प्रेषित कर लेख है कि प्रशासनिक स्वीकृति के अन्तर्गत वर्णित शर्तों की पालना हेतु आवेदक से शपथ पत्र प्राप्त कर एवं कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना में स्वयं के वित्तीय संसाधन के उपयोग में लिये जाने की स्थिति में परिशिष्ट 1 में वर्णित शर्तों की पालना करावें।
6. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर/सहायक जन संपर्क अधिकारी मुख्यालय, जयपुर।
7. श्री आशीष डामोर पुत्र श्री प्रकाश डामोर ग्राम अगोरिया, ग्राम पंचायत बालावड़ा, पंचायत समिति बागीदौरा जिला बांसवाड़ा को प्रेषित कर लेख है कि प्रशासनिक स्वीकृति आदेश में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु शपथ पत्र उप निदेशक, कृषि (वि०), जिला परिषद बांसवाड़ा कार्यालय को प्रस्तुत करे एवं "कस्टम हायरिंग केन्द्र अगोरिया" ग्राम पंचायत बालावड़ा, पंचायत समिति बागीदौरा जिला बांसवाड़ा की स्थापना की कार्यवाही पूर्ण करे।
8. आरक्षी पत्रावली।

(एल. एन. कुमावत)


अतिरिक्त निदेशक, कृषि (विस्तार)

“कस्टम हायरिंग केन्द्र अगोरिया” ग्राम पंचायत बालावड़ा, पंचायत समिति बागीदौरा जिला बांसवाड़ा की स्थापना हेतु निर्धारित शर्तें जिनके अध्यक्षीन प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है।

- i. “कस्टम हायरिंग केन्द्र अगोरिया” ग्राम पंचायत बालावड़ा, पंचायत समिति बागीदौरा जिला बांसवाड़ा की स्थापना आवेदक द्वारा स्वयं के संसाधनों से की जायेगी। “कस्टम हायरिंग केन्द्र अगोरिया” ग्राम पंचायत बालावड़ा, पंचायत समिति बागीदौरा जिला बांसवाड़ा की स्थापना हेतु परिशिष्ट '2' में वर्णित उपकरणों/यंत्रों के क्रय के प्रमाण उपरान्त, उप निदेशक, कृषि (वि0) जिला परिषद बांसवाड़ा कार्यालय द्वारा भौतिक सत्यापन के उपरान्त, आवेदक को अनुदान राशि जो परिशिष्ट '2' में वर्णित कृषि यंत्रों की लागत के 40% के तुल्य होगी, जारी की जाने की वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी, जो आवेदक के नाम, बैंक एफ.डी.आर. के रूप में होगी एवं सम्बन्धित उप निदेशक, कृषि (वि0) कार्यालय में सुरक्षित रहेगी। जिसे 4 वर्ष की अवधि समाप्त होने के उपरान्त आवेदक को लौटाया जायेगा।
- ii. योजनान्तर्गत क्रय किए गए ट्रैक्टर एवं कृषि मशीनों से न्यूनतम 10 वर्ष तक कस्टम हायरिंग (Custom Hiring) सेवार्यें कृषकों को प्रदान करनी आवश्यक होगी। इस हेतु आवेदक को एक शपथ पत्र देना होगा।
- iii. योजना के तहत क्रय की गई मशीनों/यंत्रों आदि को विभागीय अनुमति के बिना अन्य किसी व्यक्ति/समिति/फर्म को आवेदक द्वारा 10 वर्ष की अवधि तक विक्रय/रेहन (Mortgage) अथवा हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा। इसका उल्लंघन किये जाने पर आवेदक को विभाग को नियमानुसार अनुदान राशि मय ब्याज के राजकोष में जमा करायी जानी होगी। आवेदक द्वारा शर्त की पालना न करने की दशा में संपूर्ण राशि की वसूली हेतु आवेदक पर कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।
- iv. “कस्टम हायरिंग केन्द्र अगोरिया” ग्राम पंचायत बालावड़ा, पंचायत समिति बागीदौरा जिला बांसवाड़ा की स्थापना हेतु क्रय की गई मशीनों/यंत्रों के शेड निर्माण एवं आवश्यकतानुसार भूमि आदि की व्यवस्था तथा कृषि यंत्रों का रख रखाव आवेदक को स्वयं करना होगा।
- v. “कस्टम हायरिंग केन्द्र अगोरिया” ग्राम पंचायत बालावड़ा, पंचायत समिति बागीदौरा जिला बांसवाड़ा के द्वारा कम से कम 300 हैक्टेयर क्षेत्रफल प्रति सीजन में कृषकों को सुविधा प्रदान करने हेतु सक्षम होना चाहिये।
- vi. “कस्टम हायरिंग केन्द्र अगोरिया” ग्राम पंचायत बालावड़ा, पंचायत समिति बागीदौरा जिला बांसवाड़ा द्वारा कृषि मौसम में केवल कृषि संबंधित कार्य ही किये जा सकेंगे। वर्षाकाल आदि में जब कृषि कार्य नहीं होते हैं तब अकृषि कार्य भी किये जा सकेंगे।
- vii. “कस्टम हायरिंग केन्द्र अगोरिया” ग्राम पंचायत बालावड़ा, पंचायत समिति बागीदौरा जिला बांसवाड़ा अंतर्गत प्रदाय की गई मशीनों/उपकरणों/कृषि यंत्रों को आवेदक द्वारा सही हालत में रखना होगा। इसका निरीक्षण समय-समय पर विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा।
- viii. आवेदक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि केन्द्र हेतु क्रय किये जा रहे ट्रैक्टर चलित उपकरण/यंत्र ट्रैक्टर की बी.एच.पी. के संगत (Compatible) हो साथ ही यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके द्वारा प्राप्त किये गये ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्रों का संचालन उपयुक्त एवं वैद्य ड्राइविंग लाइसेंस धारक व्यक्ति द्वारा ही किया जायेगा।
- ix. कृषकों के खेतों में किये गये कार्यों का विवरण “कस्टम हायरिंग केन्द्र अगोरिया” ग्राम पंचायत बालावड़ा, पंचायत समिति बागीदौरा जिला बांसवाड़ा द्वारा एक रजिस्टर में निर्धारित प्रारूप में संधारित करके रखा जाना होगा। इसका निरीक्षण भी समय-समय पर विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। विभाग द्वारा चाहे जाने पर केन्द्र को संधारित जानकारियां उपलब्ध करानी होंगी।

(Signature)

- x. "कस्टम हायरिंग केन्द्र अगोरिया" ग्राम पंचायत बालावड़ा, पंचायत समिति बागीदौरा जिला बांसवाड़ा की स्थापना हेतु आवेदक द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार उपकरणों/यंत्रों का क्रय किया जायेगा। आवेदक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके द्वारा क्रय किये जाने वाले उपकरणों/यंत्रों के निर्माता/डीलर उप निदेशक कृषि (वि०) जिला परिषद द्वारा उसी जिले में अथवा राज्य के अन्य जिलों में पंजीकृत हो।
- xi. राशि रु. 25,000 से अधिक के कृषि यंत्रों/उपकरणों हेतु भारत सरकार से मान्यता प्राप्त परीक्षण केन्द्रों द्वारा जारी कॉमर्शियल टेस्ट रिपोर्ट होना अनिवार्य होगा तथा अन्य स्वचालित मशीन/यंत्र भारत सरकार द्वारा सूचीबद्ध फर्मों से ही क्रय किये जायेगे।
- xii. आवेदक द्वारा केन्द्र पर रखे जाने वाले समस्त यंत्रों/उपकरणों के विस्तृत स्पेशिफिकेशन शपथ पत्र आवेदक द्वारा संलग्नक के रूप में दिया जायेगा।
- xiii. आवेदक द्वारा उपरोक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।



"कस्टम हायरिंग केन्द्र अगोरिया" ग्राम पंचायत बालावड़ा, पंचायत समिति बागीदौरा जिला बांसवाड़ा हेतु अनुमोदित कृषि यंत्रों/उपकरणों की सूची

क्र.सं.	कस्टम हायरिंग केन्द्र के अन्तर्गत स्वीकृत उपकरणों / यंत्रों का विवरण	कस्टम हायरिंग केन्द्र पर स्वीकृत उपकरणों/यंत्रों की संख्या
1.	ट्रैक्टर	1
2.	सीड ड्रिल	1
3.	रोटावेटर	1
4.	प्लो (एम.बी.)	1
5.	लेवलर	1
6.	कल्टीवेटर	1

योजनान्तर्गत ट्रौली एवं टेंकर को सम्मिलित नहीं किया गया है।

DMV